न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
87/24	14.06.2024	2-12-24

उनवान

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री मातादीन जाति गुर्जर निवासी ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–प्रार्थी

बनाम

1. अनमोल पुत्री सुरेश वगैरा।

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः–1. प्रार्थी की ओर से श्री तैय्यब खान वकील।

2. अप्रार्थी सं0–1की ओर से श्री रामनिवास, वकील।

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

राजस्व ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी ख0नं0 744 रकबा 0.68हे0 (2 बीघा 14 बिस्वा) जिसका साबिक खसरा नं0 556 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से कायम किया गया है। चूंकि विवादित आराजी का तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री अलौटी गैर खातेदार था और तुरसामल को भारत में विस्थापित होने पर उपरोक्त आराजी आंवटित की गई थी। जिसके फौत होने पर जरिये इंतकाल विरासत संख्या 655 दिनांक 10.04.1990 को तुरसामल के एक मात्र पुत्र पेशूमल तथा कलावती बेवा पेशूमल व सुरेशचन्द पुत्र पेशूमल खत्री समभाग में दर्ज वो स्वीकार किया गया। जो दोनों कानूनी वारिसान काबिज आराजी होकर काश्त करते थे। जिनके नाम का अंकन चौसाला जमाबंदीयात में अंकित है। कलावती बेवा पेशूमल व सुरेश पुत्र पेशूमल खत्री किशनगढबास को छोडकर बाहर अमरावती, महाराष्ट्र मे विस्थापित हो गये। जिन्होने स्वेच्छा से अपने जीवनकाल में अपनी गैरखातेदारी की आराजी विवादित आराजी सहित बिक्री का सौदा मिन प्रार्थी बटाईदार से दिनांक 18.05.1992 को तैय करके सम्पूर्ण राशि 130000/–रूपये अक्षरे एक लाख तीस हजार रूपयें चुकता प्राप्त कर भौतिक कब्जा मिन प्रार्थी को सौंप दिया था। विवादित आराजी पर प्रार्थी 31–32 साल से लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। पूर्व में भी प्रार्थी आराजी को बटाई ठेका पर काश्त करता था। बाद बेचान प्रार्थी बतौर काश्तकार काबिज चला आ रहा है। मौके पर आज भी प्रार्थी का ही कब्जा है। प्रार्थी अनेको बार पट्टेदारान से सनद पट्टा प्राप्त कर बयनामा कराने हेतु तलब तकाजा किया किन्तु पट्टेदारान यही आश्वासन देते रहे कि जब भी किशनगढबास आयेंगें तो सनद लेकर रजिस्ट्री करा देंगें। बाद बेचान पट्टेदार कलावती बेवा पेशूमल खत्री व सुरेश पुत्र पेशूमल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

के फौत होने पर इंतकाल विरासत सं0 1319 व 1320 दिनांकित 21.10.2002 को प्रति0 सं0 1 लगा0 4 व लाजीबाई के नाम दर्ज वो स्वीकार हो गये जिनके आधार पर चौसाला जमाबंदी में वारिसान का नाम अंकित चला आ रहा है। लाजीबाई फौत हो चुकी है। जिसका वारिस एक मात्र प्रति0 सं0 5 है। जिन्हे गैर खातेदारान अंकित किया हुआ है।

प्रार्थी विवादित आराजी पर गत 31–32 साल से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसने सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा की हुई है। किन्तु अप्रार्थी आए दिन स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों को लेकर भू–माफिया लोगों को साथ लेकर प्रार्थी को आराजी से जब्रन बेदखल करने की धमकियां देते है। दीगर जगह रहन बैय कर देना चाहते है। जबकि प्रति0 की हैसियत गैर खातेदारी की है। जबकि अप्रार्थी गैर वास्ता गैर काबिज आराजी है। यदि अप्रार्थी ने अपनी बेजा व नापाक चेष्टा में सफलता प्राप्त कर ली वो प्रार्थी को जब्रन बेदखल कर दिया तो हकूक प्रार्थी हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगें। जबकि कानूनन प्रति0 अपने बुजुर्गो द्वारा बेचान इकरारनामा दिनांक 18.05.1992 से कानूनी तौर पर पाबन्द है। लेकिन दिनांक 11.6.2024 को प्रार्थी आराजी को जोत बहा काश्त करने के लिए गया तो गैरखातेदारान पट्टेदारान ने एस.सी. लोगों को आगे कर दिया तथा वो लोग जब्रन बिना मेरी जानकारी व सहमति के मुतनाजा आराजी में मिट्टी, ईंट, पत्थर, मलबा आदि डालकर रोड व टीन शेड का निमार्ण कर रहे है। प्रार्थी ने इनको ऐसा करने से मना किया तो ये एस.सी कास्ट के लोगों ने कहा कि उन्हे पट्टेदारान/गैरखातेदारान ने जमीन बेचकर काबिज कर दिया है और मिन प्रार्थी के साथ गाली गलौच की तथा एस.सी. एस.टी. का झूंठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी तथा मिन प्रार्थी को जान से मारने को उतारू हो गए। प्रार्थी ने अप्रार्थी को इस घटनाक्रम के बारे में बात की तो अप्रार्थी ने भी प्रार्थी को धमकी दी। जबकि श्रीमान मिन प्रार्थी ने इकरारनामा के जरिये पट्टेदारान अप्रार्थी से उक्त विवादित आराजी खरीद की हुई है। अतः प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस अमर की अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि अप्रार्थी मुतनाजा आराजी से ना तो जब्रन बेदखल करे, ना गलत अंकन जमाबंदी की आड में दीगर जगह आराजी को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल करें, ना कोई आराजी में कच्चा पक्का निर्माण तामीरात करे, ना हकूक प्रार्थी समाप्त करें दौरान वाद रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखे। अतः नापूर्ति होने वाली क्षति व सुविधा का संतुलन बैलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स बहक प्रार्थी/वादी है।

अतः प्रार्थना है कि जरिये हुक्मइम्तनाई चंदरोजा प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस अमर की अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी मुतनाजा आराजी ख0नं0 744 रकबा 0.68हे (2 बीघा 14 बिस्वा) वाके किशनगढबास से ना तो जब्रन बेदखल करें, ना गलत अंकन जमाबंदी की आड में दीगर जगह आराजी को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल करें, ना कोई आराजी में कच्चा पक्का निर्माण तामीरात करें, ना कोई टीनशेड निर्माण करें, ना कोई रोड बनावे, ना कोई मिट्टी, मलबा, पत्थर इत्यादि डाले, ना हकूक प्रार्थी समाप्त करें, दौराने वाद रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 ने मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार उक्त विवादित आराजी तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री को भारत में विस्थापित होने पर आवंटित की गई। जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर उनके विधिक वारिसान काबिज व दखिल हुये तथा उनके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज वो मंजूर हुआ। हम अप्रार्थीगण के बुजुर्गान कलावती बेवा पेशूमल व सुरेश पुत्र पेशूमल ने कभी भी अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के बेचान का सौदा प्रार्थी के साथ दिनांक 18.05.1992 को मुब0 1,30,000/–रूपयें में तैय नही किया, ना ही कोई रकम प्राप्त की गई, ना कोई आराजी पर कब्जा दिया बल्कि प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त इकरारनामा फर्जी, नुमाईशी तैयार कराया गया है जो इकरारनामा मात्र हम अप्रार्थीगण/जवाबदारान की आराजी को हडप करने की नियत से फर्जी व नुमाईशी इकरारनामा तैयार कराया है आज दिन भी उक्त आराजी पर हम जवाबदारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिससे वादी का कोई किसी प्रकार का लेना देना संबंध वो सरोकार नही है यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि मिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 365/2011 थाना किशनगढबास में अन्तर्गत धारा 419,420,465,467,468,471 भा0द0स0 मे दर्ज करायी है कि बिसराम पुत्र रामप्रसाद, श्रीचन्द पुत्र रतनलाल, रमेश पुत्र पंजूमल ने मिलकर आराजी खसरा संख्या 63 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास का फर्जी इकरारनामा बनवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये, जिस मुकदमें में वादी कृष्ण कुमार के बयान दिनांक 29.11.2011 को हुए जिसमें कृष्ण कुमार द्वारा बयान किया गया कि " हमारे गांव में करीब 5 बीघा जमीन कलावती जो कि अमरावती महाराष्ट्र मे रहती है के नाम रिकार्ड गैरखातेदारी दर्ज थी पर करीब 35–40 साल से हमारे गांव का बिसराम पुत्र रामप्रसाद गुर्जर व मातादीन पुत्र देवीसहाय गुर्जर कब्जा काश्त है जिसमें स्वयं की आराजी को खरीद करने बाबत कही पर बयानों में नही किया, यदि कृष्ण कुमार द्वारा उक्त आराजी खरीद की हुई तो वो स्वयं की आराजी को खरीद करना बताता, लेकिन उसने मात्र ख0नं0 63 को खरीद करना बताया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी कृष्ण कुमार ने उक्त इकरारनामा फर्जी व नुमाईशी बनाया है। यदि इकरारनामा के आधार पर कोई कार्यवाही करनी थी तो सिविल कोर्ट में की जा सकती है ना कि राजस्व न्यायालय में, ऐसी सूरत में वादी फर्जी व नुमाईशी इकरारनामा के आधार पर कोई वाद दायर करने का अधिकारी नही है। विवादित आराजी पर वादी/प्रार्थी को कोई कब्जा 31–32 साल से नही है ना ही हम जवाबदारान के बुजुर्गान द्वारा उक्त आराजी का कोई बेचान किया गया है। वादी ने फर्जी व नुमाईशी इकरारनामा के आधार पर वाद दायर किया है जो कानूनन चलेन योग्य नही है। जब वादी का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त ही नही है तो जोत बाह करने का सवाल ही पैदा नही होता है। वादी/प्रार्थी गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी मुतनाजा है। राजस्व रिकार्ड में अभी भी हम जवाबदारान के नाम का अंकन बतौर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है ऐसी सूरत में वादी को वाद किसी भी सूरत मे आयद व साबित नही है, ना ही वादी हम जवाबदारान को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पावन्द कराने के अधिकारी है। वाद वादी काबिले खारिज है खारिज फरमाया जावे। बैलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स बहक जवाबदारान है। जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थना–पत्र वास्ते बहस नियत किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया साबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2011 से 2014 में साबिक ख0न0 556 रकबा 2–14 में तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री सा0देह पुरूषार्थी मार्फत भजनी पुत्र लछमन चमार साकिन देह गैरखातेदार दर्ज है तथा तुरसामल के फौत होने पर इंतकाल सं0 655 दिनांक 10.04.1990 को तुरसामल के एक मात्र पुत्र पेशुमल तथा कलावती बेवा पेशुमल व सुरेशचन्द पुत्र पेशुमल खत्री के बहिस्से बराबर दर्ज हुआ। तथा कलावती बैवा पेशूमल व सुरेश पुत्र पेशुमल खत्री किशनगढबास को छोडकर बाहर अमरावती महाराष्ट्र में विस्थापित हो गये। तथा अमरावती व सुरेश ने दिनांक 18.05.92 को प्रार्थी के पक्ष में इकरारनामा तहरीर कराया और विवादि आराजी पर कब्जा प्रार्थी को संभलवाया गया। उस दिनांक से आज तक वादी की कब्जा काश्त है अतःप्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा स्थायी किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री को आवंटित हुई थी जिसकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर हम जवाबदारान का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज व मंजूर हुआ। हमारे बुजुर्गान द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी कोई इकरारनामा नही करवाया प्रार्थीगण ने फर्जी हस्ताक्षर कर इकरानामा बनवाया है। जिसके संबंध में प्रतिवादी सं01 द्वारा पूर्व में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 365/2011 थाना किशनगढबास में अन्तर्गत धारा 419,420,465,467,468,471 भा0द0स0 में दर्ज करायी है जिसकी छाया प्रति पेश कि है तथा उसी एमआईआर में वादी द्वारा ब्यान दिये गये है कि विवादित आराजी का बेचान सन 1994 में ही बेंचान होना बताया था उस समय वादी द्वारा यह कथन अपने बयानो नही किया की विवादित आराजी मेरे द्वारा भी खरीद की गई है। तथा प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा दिनांक 16.5.24 वन्दना बनाम कृष्ण के नाम से पुनः इस्तगासा सिविल न्यायालय श्रीमान अपरमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के दायर किया गया है। जिसकी प्रति अप्रार्थी द्वारा पेश की हुई है। इकरारनामा के संबध में वादी को सिविल में वाद दायर करना चाहिए था। लाजीबाई के सभी वारिस को पक्षकार नही बनाया गया। चूंकि विवादित आराजी गैरखातेदारी की आराजी है जिस पर किसी पक्ष के कोई हकूक तय नही हुए है फिलहाल विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी बहक अप्रार्थी है होने वाली नापूर्ति एवं क्षति भी अप्रार्थीगण है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्यौपान्त अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल सं0 2029 में हाल ख0न0 744 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा गत ख0न0 556 रकबा 2 बीघा 14 का अंकन है। जमाबंदी संवत 2011–14 में ख0न0 744 के संबध में तरसामल पुत्र हरगुनमल जाति खत्री सा0देह अलौटी गैरखातदोर अंकित है। जमाबंदी संवत 2011 से 2014 में गत ख0न0 556 मे संबध में तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री सा0देह पुरूषार्थी मार्फत भजनी पुत्र लक्ष्मण चमार सा0देह गैरखातेदार अंकित है। स0 2029 की बंदोबस्त मिसाल में ख0न0 744 के संबध में तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री सा0देह अलौटी मार्फत भजन पुत्र लक्ष्मण चमार सा0देह उपकृषक अंकित है जमाबंदी संवत 2031 में ख0न0 744 के संबध में तुरसामल पुत्र हरगुनमल खत्री सा0देह अलौटी गैरखातेदार भजनी पुत्र लक्ष्मण सा0देह उपकृषक अंकित हैं। हाल जमाबंदी सं0 2073–76 में ख0न0 के संबंध में अनमोल, नीलम, वंदना पुत्री सुरेश, लाजीबाई, राजीबाई पुत्रीयाना पेशुमल खत्री सा0देह आलोटी गैरखातेदार अविवि0काश्त भजनी पुत्र लक्ष्मण चमार सा0देह उपकृष्क अंकित है। नामान्तरण सं0 655,1319,1320 में तुरसामल के वारिस पेशुमल तथा पेशूमल के वारिस कलावती, सुरेश, लाजीबाई, राजीबाई, इसी प्रकार सुरेश के वारिस वंदना, नीलम, अनमोल होने का अंकन है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पैत्रिक एवं अलौटशुद्धा गैरखातेदारी आराजी रही है तथा इस पर गैरखातेदार के रूप में अप्रार्थीगण के पूर्वजो का अंकन रहा है तथा बकाश्त /उपकृषक के रूप में भजनी पुत्र लक्ष्मण का अंकन रहा है। तथा हाल जमाबंदी में भी इसी प्रकार का अंकन मौजूद है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा की प्रति में कलावती एवं सुरेश द्वारा विवादित आराजी के संपूर्ण हिस्से का विकय होना बताया गया है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी राजस्व अभिलेख में कभी भी खातेदार या गैरखातेदार या बकाश्त/उपकृषक की हैसियत से दर्ज रिकार्ड नही रहा है। तथा प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं के कब्जे के संबंध में भी कोई पुख्ता सुबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसका कब्जा प्रमाणित हो सके और इस बात का खंडन हो सके कि वर्तमान में दर्ज गैरखातेदार अथवा उपकृषक का विवादित आराजी पर कब्जा नही हो।

जिस इकरारनामें के आधार पर प्रार्थी द्वारा आराजी के कय एवं कब्जें के संबंध में कथन किये गये है परंतु उसकी वैधता के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नही की गई है। बल्कि इकरारनामा के संबंध मे दर्ज इस्तागासा की पुलिस जांच के दौरान प्रार्थी के बयानो से भी विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित नही होता है स्वयं प्रार्थी कृष्ण कुमार के बयानो में कलावती के नाम करीब 5 बीघा जमीन को स्वंय द्वारा कय किये जाने संबंधी कोई कथन नही किया गया है जबकि बयान 29.11.11 को हुए है तथा इकरारनामें का वर्ष 1992 इससे पूर्व का है यदि इकरारनामे से भूमि कय की जाती तो इस बारे में प्रार्थी द्वारा उल्लेख किया जाना चाहिए था। इस प्रकार इकरारनामें की वैधता संदेहास्पद प्रतीत होती है। इकरारनामें में केवल कलावती एवं सुरेश का ही विकेता के रूप

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

में अंकन है जबकि दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि तुरसामल के वारिस पेशुमल के कई अन्य वारिस भी थे। उनको इकरारनामें में छोडे जाने से उनके हक प्रभावित होने की संभावना है। एवं 1992 में किये गये इकरारनामें के संबंध में प्रार्थी द्वारा लाजवती के वारिसानो की लिखित सहमति दिनांक 08.08.2024 पेश की गई है जो स्वयं ही इस बात से स्पष्ट करती है कि कुछ विधिक वारिसानो को इकरारनामा करते वक्त छोडा गया था तथा जिनके विधिक अधिकारो का हनन हुआ होगा। तथा हाल की सहमति पूर्व में किये गये अधिकारो के हनन की क्षतिपूर्ति नही कर सकती और न ही पूर्व के किसी दस्तावेज को वैधता प्रदान करती है। साथ ही पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्व जमाबंदी में अंकित उपकृषक एवं पेशूमल के सभी वारिसो को पक्षकार नही बनाया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण पूर्व राजस्व रिकार्ड अथवा हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदार/गैरखातेदार/ उपकृषक के रूप में अंकित नही रहे हे तथा इकरारनामें या अन्य किसी दस्तावेज के आधार पर विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा साबित करने में भी असफल रहे है साथ ही प्रस्तुत इकरारनामें की वैधता को भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है। प्रार्थी द्वारा रिकोर्ड में अंकित उपकृषक एवं पेशूमल के सभी वारिसानो को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के एक पक्षीय निर्णय से उनके सुनेजाने से प्राकृतिक अधिकारो तथा अराजी में निहित अधिकारो के हनन होने की संभावना होने से नापूर्ति क्षति अप्रार्थीगण को संभावित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। तथा उपरोक्त तथ्य परिस्थितियो के मदेदजनर अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत आराजी खसरा नं0 744 रकबा 0.68हे0 (2–14बिस्वा) वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 14.06.2024 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)